भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **5353**
दिनांक 25 जुलाई , 2019 / 3 श्रावण, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विमानपत्तनों के विस्तार को स्वीकृति

5353. श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दो विमानपत्तनों के विस्तार को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है जिनमें से एक कैम्पबेल बे और दूसरा शिबपुर में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईएफसी प्राप्त कर ली गई है और यदि नहीं, तो इस विलंब का क्या कारण है और ईएफसी की अनुमानित तिथि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना हेतु मुआवजा प्रदान किया है अथवा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थित कैम्पबेल बे तथा शिबपुर हवाईअड्डों को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) में शामिल किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत इन हवाईअड्डों से 20 सीट वाले विमान के प्रचालन के लिए बोलियां प्राप्त की गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत इन हवाईअड्डों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

(ख): उक्त परियोजनाओं के लिए ईएफसी की आवश्यकता नहीं है।

(ग): सामान्यत:, हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रत्येक प्रकार के ऋणभार एवं पुनर्वासन के मुआवजे से मुक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास (जहां लागू हो) की व्यवस्था भी सम्बद्ध राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन द्वारा की जाती है। ऐसी परियोजनाओं से जुड़ी प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन एवं पुनर्वास की प्रक्रियाओं में मुआवजा दिए जाने के प्रति नागर विमानन मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****